



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102022-239881
CG-DL-E-27102022-239881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4806]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2022/कार्तिक 5, 1944

No. 4806]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27 2022/KARTIKA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5024(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH 754K के कि.मी. 547.243 से कि.मी. 577.193 (सांचैर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" दोनों में दिनांक 17.03.2022 को प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जालौर जिले में NH 754K के कि.मी. 547.243 से कि.मी. 577.193 (सांचैर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जालौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सांचोर				
	गांव का नाम: बडसम				
1	311	निजी	बारानी सोयम	0.001	1. अकबरशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 2. अहमदशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 3. जैनपवाई पत्नी रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 4. नसीबशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 5. मोहम्मदशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. ()
	गांव का नाम: गरडाली				
2	377	निजी	बारानी दोयम	0.0025	1. अकबरशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 2. अहमदशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 3. जैनपवाई पत्नी रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 4. नसीबशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5 जाति - फकीर सा. देह खातेदार. 5. मोहम्मदशाह पुत्र रमजानशाह हिस्सा 1/5

					जाति - फकीर सा. देह खातेदार. ()
3	768/697	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.002	राजस्थान सरकार ([object Object])
	गांव का नाम: मौखपुरा				
4	3710/3509	निजी	बाराणी दोयम	0.11	1 पुनमाराम पुत्र खंगारजी हिस्सा-पूर्ण जाति कलबी सा. देह खातेदार ()
5	3713/3509	निजी	बाराणी दोयम	0.06	1. मूंगाराम पुत्र मोडाराम हिस्सा-पूर्ण जाति कलबी सा. प्रतापपुरा खातेदार राहीन (खसरा संख्या 3712/2796 बिना रहन) बैंक ऑफ बडोदा शाखा सांचोर. ()
			कुल	0.1755	

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2022

S.O. 5024(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 754K on the stretch of land from Km. 547.243 to Km. 577.193 (Sanchoe) in the district of JALORE in the state of RAJASTHAN;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Rajasthan Patrika” and “Dainik Bhaskar” both dated 17.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 754K in the stretch of land from Km. 547.243 to Km. 577.193 (Sanchoe) in the district of JALORE in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: JALORE		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sanchoe				
	Village: Barsam				
1	311	Private	Barani III	0.001	1. Ashok Kumar S/o Babulal Hissa 1/2 Caste- Mali Sah. Bee Dhani Khatedar Rahin Hissa - 1/2 (Purn Khata) Bank Of Badoda. Branch Sanchoe. 2. Narayanlal S/o Babulal Hissa 1/2 Caste- Mali Sah. Bee Dhani Khatedar Rahin Hissa - 1/2 (Purn Khata) Bank Of Badoda. Branch Sanchoe.
	Village: Gardali				
2	377	Private	Barani II	0.0025	1. Akbarshah S/o Ramjaanshah Hissa 1/5 Caste- Fakir Sa. Deh Khatedar. 2. Ahemadshah S/o Ramjaanshah Hissa 1/5 Caste- Fakir Sa. Deh Khatedar. 3. Jainapbai W/o Ramjaanshah Hissa 1/5 Caste- Fakir Sa. Deh Khatedar. 4. Nasibshah S/o Ramjaanshah Hissa 1/5 Caste- Fakir Sa. Deh Khatedar. 5. Mohammadshah S/o Ramjaanshah Hissa 1/5 Caste- Fakir Sa. Deh Khatedar.
3	768/697	Government	Ge. M. Rasta	0.002	Rajasthan Sarkar
	Village: Mokhupura				
4	3710/3509	Private	Barani II	0.11	Punmaram S/o Khangarji Hissa Purn Caste Kalbi sah. Deh Khatedar
5	3713/3509	Private	Barani II	0.06	1. Mungaram S/o Modaram Hissa Purn. Caste Kalbi sah. Pratppura Khatedar Rahin (Khasara Number 3712/2796 Bina Rahan) Bank of Badoda Branch Sanchoe.
			TOTAL	0.1755	

[F. No. NHA/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director